

न्यायालय अपर सिविल जज (अवर वर्ग) कोर्ट सं0-6/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी
उपस्थिति - अपर्णा सिंह (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

दिनांक- 09.05.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पुश हुयी। पुकार पर अभियुक्त उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया और मु० 10/-रु० अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनायी जायेगी। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि अदालत में जमा की गयी।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जावे।

दिनांक: 09.05.2026

(अपर्णा सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर सिविल जज, (अवर वर्ग)
कोर्ट संख्या-6, मैनपुरी।